न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 106/2017

1 रणजीत सिंह पुत्र मूलाराम
2 माडुराम पुत्र मूलाराम
3 साधुराम पुत्र रामेश्वर
4 बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
5 कालूराम पुत्र रामेश्वर
6 भागोती देवी पत्नी स्व. गीगाराम
7 रामेश्वर पुत्र दुला
8 रामकुमार पुत्र झुंथा
9 सुधाराम पुत्र झुंथा
10 गीलाराम पुत्र झुंथा
11 मदनलाल पुत्र झुंथा
12 रतनलाल पुत्र झुंथा
13 रणजीत पुत्र मूलाराम
14 सुन्दरी पुत्र सुण्डाराम
15 भाताराम पुत्र ईशरा
16 कैलाशचन्द पुत्र पन्नाराम
17 लालचन्द पुत्र पन्नाराम
18 मूलचन्द पुत्र पन्नाराम
19 चान्दा देवी पत्नी रामेश्वर लाल

समस्त जातियान माली निवासीगण ग्राम काटलीपुरा तन पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज्य राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (केम्प झुन्झनूं)

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज्य राजस्थान।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.07.2017
उनवानी राज्य सरकार बनाम रणजीत वगै.
मुकदमा नम्बर 173/2016 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 29.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 173/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 499 रकबा 0.53 हैक्टेयर ग्राम काटलीपुरा में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि को अकृषि कार्यों के लिय काम आना बताकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के न्यायालय में धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.07.2017 को विचाराधीन निर्णय पारित कर स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 29.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर